कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए प्रक्रियात्मक ढांचा

संस्थान | प्रक्रिया | आदेश/फ़ैसला

विधि विवादित बच्चे से संबंधित प्रक्रियाओं के चरण अपराध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं

छोटे अपराध
ऐसे अपराध जिनमें अधिकतम सज़ा तीन वर्ष की क़ैद हो

गंभीर अपराध
ऐसे अपराध जिनमें अधिकतम सज़ा तीन से सात वर्ष की क़ैद हो

जघन्य अपराध
ऐसे अपराध जिनमें अधिकतम सज़ा सात वर्ष या अधिक क़ैद हो

चरण 1 | पहले 24 घंटे

संस्थान | प्रक्रिया | आदेश/फ़ैसला

पुलिस का बच्चे से संपर्क

SJPU/CWPO स्थिति का आकलन करेंगे

CPWO द्वारा परिजनों या संरक्षकों, परिवीक्षा अधिकारी, केस वर्कर या बाल कल्याण अधिकारी और DLSA **(नियम 8(2) और (3), JJ आदर्श नियमावली, 2016) को सूचना देना**

पुलिस द्वारा रिहा करना

- ज़मानत पर रिहा
- परिवीक्षा अधिकारी या उपयुक्त व्यक्ति निगरानी में रिहा करना
- JJB के समक्ष पेश करने तक पर्यवेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान भेजना **(धारा 12(1), JJ एक्ट 2015)**

अपराध के आरोपी बच्चे को पुलिस द्वारा निरुद्ध किए जाने पर ज़मानतदार या उसके बिना ज़मानत पर छोड़ दिया जाएगा। अगर बच्चे को रिहा करना उसके सर्वोत्तम हित में न हो तो उसे निरुद्ध रखा जाएगा। ऐसे बच्चे को परिवीक्षा अधिकारी के संरक्षण या उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखा जाएगा **(धारा 12(1), JJ एक्ट 2015)**

अपराध की प्रकृति

- जघन्य → पुलिस FIR दर्ज करेगी **(नियम 8(1), JJ आदर्श नियमावली, 2016)**
- गंभीर → पुलिस जनरल डायरी में लिखेगी **(नियम 8(1), JJ आदर्श नियमावली, 2016)**
- सामान्य → कोई FIR नहीं

किसी बच्चे को पुलिस केवल तभी निरुद्ध कर सकती है, जब वह बच्चा कथित रूप से कोई जघन्य अपराध कर चुका हो या निरुद्ध करना बच्चे के सर्वोत्तम हित में हो **(नियम 8(1), JJ आदर्श नियमावली 2016)**

CWPO सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट (SBR) तैयार करेगा **(नियम 8(1), JJ आदर्श नियमावली, 2016)**

CWPO डायरी या FIR JJB को सौंपेगा

बच्चे को JJB के समक्ष पेश किया जाएगा

SBR- में बच्चे, उसकी पृष्ठभूमि, कथित अपराध और बच्चे को पकड़ने की परिस्थितियों का विवरण होता है **(नियम 2 (xvi), JJ आदर्श नियमावली, 2016)**

JJB के उपलब्ध न होने पर विधि विवादित आरोपी बच्चे को बोर्ड के अकेले सदस्य के समक्ष पेश किया जाएगा **(धारा 7(2), JJ एक्ट 2015)**

चरण 2 | JJB के समक्ष पहली पेशी पर

संस्थान | प्रक्रिया | आदेश/फ़ैसला

बोर्ड आवश्यक आदेश पारित करेगा **(नियम 10, JJ आदर्श नियमावली, 2016)**

बोर्ड को SBR, बच्चे को निरुद्ध करने की परिस्थितियों और कथित अपराध का आकलन करना चाहिए

- यदि विचार करने पर प्रकरण निराधार प्रतीत हो या बच्चा कथित रूप से छोटे अपराध में शामिल हो तो मामले को निस्तारित करने का आदेश
- बच्चे की अभिरक्षा निम्नलिखित को देने का आदेश: क) पर्यवेक्षण गृह, ख) सुरक्षित स्थान, ग) उपयुक्त सुविधा या व्यक्ति
- ज़मानत का आदेश
- बोर्ड को बच्चे की देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता प्रतीत होने पर उसे बाल कल्याण समिति (CWC) के पास भेजने का आदेश

चरण 3 | JJB के समक्ष जांच

संस्थान | प्रक्रिया | आदेश/फ़ैसला

छोटे अपराध

- जांच पहली पेशी की तारीख़ से 6 महीनों के भीतर पूरी होनी चाहिए। जांच पूरी न होने पर कार्यवाही समाप्त मानी जाएगी **(धारा 14(4), JJ एक्ट 2015)**
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 283–288 (पहले दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 260–265) के अनुसार, छोटे अपराधों का निस्तारण संक्षिप्त सुनवाइयों द्वारा किया जाएगा
- JJB द्वारा जांच पूरी कर आदेश पारित करना **(धारा 18, JJ एक्ट 2015)**

गंभीर अपराध (18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा किए गए) / जघन्य अपराध (16–18 वर्ष के बच्चों द्वारा)

- JJB बाल कल्याण अधिकारी (CWO), परिवीक्षा अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता से सामाजिक जांच रिपोर्ट (SIR) तैयार करवाता है। रिपोर्ट पहली पेशी से 15 दिनों के भीतर जमा होनी चाहिए **(धारा 8(3), JJ एक्ट 2015)**
- SIR में बच्चे की परिस्थितियां, सामाजिक-आर्थिक पहलू, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक और अन्य प्रासंगिक तत्व शामिल होंगे **(नियम 2(xvii), JJ आदर्श नियमावली 2016)**
- गवाहों के बयान (पहली पेशी से 1 महीने के भीतर)
- जांच पहली पेशी से 4 महीनों में पूर्ण होनी चाहिए (लिखित कारण देकर अवधि अधिकतम 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है) **(धारा 14(2), JJ एक्ट 2015)**
- JJB द्वारा जांच पूरी कर आदेश पारित करना **(धारा 18, JJ एक्ट 2015)**
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 274–282 में (पहले दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 251–259) के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किए गंभीर अपराधों और 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किए जघन्य अपराधों का निस्तारण JJB द्वारा समन मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा

जघन्य अपराध (16–18 वर्ष के बच्चों द्वारा)

- उम्र की जांच मेडिकल जांच के 15 दिनों के भीतर
- JJB की ओर से CWO/प्रोबेशन अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता से सामाजिक जांच रिपोर्ट (SIR) तैयार करने को कहा जाता है। यह पहली पेशी से 15 दिन के भीतर तैयार होनी चाहिए **(धारा 8(3), JJ एक्ट 2015)**
- JJB को अपना प्रारंभिक मूल्यांकन पहली पेशी से 3 महीनों के भीतर करना होता है **(धारा 15, JJ एक्ट 2015)**
  - शारीरिक क्षमता
  - मानसिक क्षमता
  - अपराध की परिस्थितियां
  - अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता
- JJB द्वारा जांच जारी
  - गवाहों के बयान (पहली पेशी से 1 महीने के भीतर)
  - जांच पहली पेशी से 4 महीनों में पूर्ण होनी चाहिए (लिखित कारण देकर अवधि अधिकतम 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है) **(धारा 14(2), JJ एक्ट 2015)**
  - JJB द्वारा जांच पूरी कर आदेश पारित करना **(धारा 18, JJ एक्ट 2015)**
- बच्चे को वयस्क मानकर मुक़दमा बाल न्यायालय भेजना **(धारा 18(3), JJ एक्ट 2015)**
  - बाल न्यायालय यह तय कर सकता है कि बच्चे का मुक़दमा वयस्क की तरह चलाने की आवश्यकता नहीं है **(नियम 13(7), JJ आदर्श नियमावली 2016)**
  - बाल न्यायालय यह तय कर सकता है कि बच्चे का मुक़दमा वयस्क की तरह चलाने की आवश्यकता है **(नियम 13(7), JJ आदर्श नियमावली 2016)**
- यदि बच्चे पर वयस्क के रूप में मुक़दमा चलाया जाता है तो बाल न्यायालय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 248–260 (पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 225–237) के तहत सत्र सुनवाइयों की प्रक्रिया का पालन करेगा

आदेश

- सलाह या चेतावनी देकर बच्चे को घर भेजना
- बच्चे को समूह परामर्श या ऐसी ही गतिविधियों में भाग लेने के लिए कहना
- बच्चे को किसी संस्था या निर्दिष्ट व्यक्ति की देखरेख में सामुदायिक सेवा करने का आदेश
- बच्चे या अभिभावक/संरक्षक को जुर्माना भरने का निर्देश
- बच्चे को अच्छे आचरण पर प्रोबेशन पर छोड़ना और माता-पिता/अभिभावक/उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख और निगरानी में बांड के साथ या उसके बिना अधिकतम तीन वर्ष तक रखना
- बच्चे को अच्छे आचरण पर उपयुक्त संस्था की निगरानी में प्रोबेशन पर अधिकतम तीन वर्ष के लिए रखना
- बच्चे को अधिकतम तीन वर्ष तक के लिए विशेष गृह भेजने का आदेश
- बच्चे को 21 वर्ष की आयु होने तक सुरक्षित स्थान भेजने का आदेश **(नियम 13(8)(iii), JJ आदर्श नियमावली 2016)**